कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 108 / 2017 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख
निवासी वार्ड नम्बर 02, नजदीक गायत्री मन्दिर, टिब्बी,
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी

——प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक 07.11.2017

यह अपील सूचना का अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी, के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा अपना पक्ष लिखित में पेश किया और बताया कि तहसीलदार टिब्बी ने प्रथम अपील में लगाये आरोपो को दरकिनार कर अपील में उठाये मुददो का जवाब देने के बजाये वही अधुरी सूचना (जो पहले भेजी थी) की फोटो प्रति भेज दी है जिसके बारे में पहले ही अपनी असन्तुष्टी प्रस्तुत कर चुका हूँ। मुझे सम्पूर्ण व बिन्दु वाईज सही सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी से पत्र कमांक 237 दिनांक 25.10.2017 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ।

पत्रावली तथा अपीलार्थी द्वारा लिखित में पेश किया गया पक्ष का गहनता से अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने लिखित पक्ष में यह कथन अंकित किये है कि प्रथम अपील में लगाये आरोपो को तहसीलदार टिब्बी ने दरकिनार कर अपील में उठाये मुददो का जवाब देने के बजाये वही अधुरी सूचना जो पहले भेजी थी उसकी फोटो प्रति भेज दी है। सम्पूर्ण व बिन्दु वाईज सही सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी ने उक्त पत्र कमांक 237 दिनांक 25.10.2017 द्वारा अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई वांछित सूचना पत्र कमांक 176 दिनांक 14.09.2017 से भिजवा दी गई है तथा अपीलार्थी को पुनः पत्र कमांक 235 दिनांक 24.10.2017 द्वारा सूचना भिजवा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी के उक्त पत्र के साथ संलग्न जबाव के अनुसार यह भी अवगत करवाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के यह प्रावधान है कि कार्यालय में जो सूचना उपलब्ध है वो ही दिये जाने का प्रावधान है, वांछित सूचना का नवसृजन नही किया जा सकता। कार्यालय में जो सूचना उपलब्ध थी वह समय पर दी गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थी आवेदन तिथि को अभिलेखो में जो सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसी रूप में सूचना ले सकता है। सूचना कीयट (Create) कर उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपीलार्थी को सूचना दे दी गई है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ0

Web Copy Not Official